न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 53/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा श्रीमाधोपुर सीकर और क्लस्टर ऑफिस एट B1/20, गांधी पथ, चित्रकुट, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. वन्दना वर्मा पत्नी लोकेश कुमार वर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 07, मंगल कॉलोनी, श्रीमाधोपुर।
ऋणी
2. लोकेश कुमार वर्मा पुत्र मदन लाल वर्मा, निवासी वार्ड नम्बर 07, मंगल कॉलोनी, श्रीमाधोपुर, सीकर। जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः जुलाई, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **जसवन्त सिंह भूरिया** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **वन्दना वर्मा, लोकेश कुमार वर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Hypothecated Maruti Swift DZIRE ZDI make 2016 Reg. No RJ-23-CB-7301, Engine No D13A-2773786, Chasis No MA3FJEB1S00901201** को बंधक रखकर 6,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **छः लाख** मात्र) की **वाहन ऋण** सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.1.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.1.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **वन्दना वर्मा, लोकेश कुमार वर्मा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Hypothecated Maruti Swift DZIRE ZDI make 2016 Reg. No RJ-23-CB-7301, Engine No D13A-2773786, Chasis No MA3FJEB1S00901201**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा हन किया जावेगा।

देश आज दिनांकः **जुलाई, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner